UNNAO POLICE

प्रेस नोट 01- दिनांक 03.08.2024

थाना गंगाघाट ,जनपद उन्नाव ।

युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एंव क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा युवक का अपरहरण कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 27.07.2024 को आवेदिका श्रीमती दिव्या त्रिपाठी पत्नी अभय त्रिपाठी निवासी 25/EWS बर्रा-02 थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर द्वारा थाना गंगाघाट पर आकर अपने पति अभय त्रिपाठी उम्र करीब 26 वर्ष के अपहरण हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 337/2024 धारा 140(2) BNS बनाम तुषार व बाइस्तवा सौरभ, बाइस्तवा रोहित, बाइस्तवा अनुरुद्ध एवं बाइस्तवा प्रदीप अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर नामित तुषार उर्फ अमन सिंह पुत्र राजू सिंह से पूछतांछ की गई तो तुषार उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.07.2024 को मैने अपने मौसेरे भाई शुभम पुत्र कान्ती कुमार निवासी महमूदपुर थाना औरास जनपद उन्नाव के साथ मिलकर पैसे के लेनदेन के विवाद में गगनी खेडा गौशाला के पास में अभय त्रिपाठी के सिर व चेहरे पर ईट मारकर हत्या कर दी थी। शव को छुपाने के उद्देश्य से शव को वैगनार कार नम्बर UP 78 BY 5753 में शव को छिपाकर ले जाकर जनपद हरदोई के थाना क्षेत्र अतरौली भटपुर पुल के पास गोमती नदी में फेंक दिया था। अभियुक्त तुषार व शुभम की निशादेही पर कल दिनांक 02.08.2024 को मृतक अभय त्रिपाठी का शव गोमती नदी पर बने भटपुर पुल के पास थाना क्षेत्र अतरौली जनपद हरदोई से बरामद हुआ है, पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई । अभियुक्त तुषार व शुभम की निशादेही पर मृतक अभय त्रिपाठी का मोबाइल फोन, आलाकत्ल ईंट व मृतक अभय त्रिपाठी के शव को छिपाकर लेजाकर गोमती नदी में फेंकने में प्रयुक्त वैगनार कार नम्बर UP 78 BY 5753, अभियुक्त तुषार द्वारा अभय त्रिपाठी को घटना स्थल पर ले जाने में प्रयुक्त मोटर साइकिल UP 35 BD 6461 होण्डा साइन व अभियुक्त तुषार के कब्जे से अवैध तमंचा 12 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1)/238 BNS व 3/25 आर्मस एक्ट की बढोत्तरी की गई। आज दिनांक 03.08.2024 को गिरफ्तार अभियुक्तों तुषार व शुभम उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. तुषार उर्फ अमन सिंह पुत्र राजू सिंह निवासी गगनी खेडा शुक्लागंज गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 22 वर्ष

02. शुभम पुत्र कान्ती कुमार निवासी महमूदपुर थाना औरास जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01.आलाकत्ल एक अदद पक्की ईंट

02.मृतक का ओप्पो कम्पनी का एन्ड्राइड मोबाइल फोन टूटा हुआ

03. शव को छिपानें के लिये प्रयुक्त की गई वैगनार कार नम्बर UP 78 BY 5753

04. एक अदद मोटर साइकिल UP 35 BD 6461 होण्डा साइन

05. एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जन्मेदय सिंह
2. हे0का0 पातीराम मौर्या
3. हे0का0 नीलेश वर्मा
4. का0 मनोज पलावत